



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III — खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]
No. 74]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2008/वैशाख 11, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2008/VAISAKHA 11, 1930

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2008

विषय : राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन ।

सं. फा. 7(37)/डीईआरसी/2008-09.—दिनांक 30 अप्रैल, 2007 की समसंख्यक पिछली अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 87 के उपबंधों का उपयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दि.वि.वि.आ.) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए "राज्य सलाहकार समिति" का पुनर्गठन करता है, जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :—

- | | |
|---|---------------|
| (i) अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग | —पदेन अध्यक्ष |
| (ii) सदस्य, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग | —पदेन सदस्य |
| (iii) सचिव-सह-आयुक्त, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग,
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार | —पदेन सदस्य |
| (iv) निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन* | —पदेन सदस्य |
| (v) सदस्य, विद्युत शिकायत सेल (पीजीसी) | —पदेन सदस्य |
| (vi) मुख्य अभियन्ता, दिल्ली नगर निगम | —पदेन सदस्य |
| (vii) संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणयोग्य ऊर्जा स्रोत मंत्रालय | —पदेन सदस्य |
| (viii) डॉ. जी. सी. दत्ता राँय, वरिष्ठ प्रबन्धक, पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री | —पदेन सदस्य |
| (ix) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो | —पदेन सदस्य |
| (x) श्री अनिल रेलिया, गुणवत्ता प्रबंधक, एन.ए.बी.एल | —सदस्य |
| (xi) उप महानिदेशक/निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) | —सदस्य |
| (xii) श्री एम. एम. रहमान, वरिष्ठ फ़ैलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान | —सदस्य |
| (xiii) श्री वी. पी. कोठियाल, निदेशक (कार्य), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) | —सदस्य |
| (xiv) श्री के. रामनाथन, प्रख्यात फ़ैलो, टेरी | —सदस्य |

*दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और उत्तर रेलवे दो-दो वर्ष की अवधि के लिए बारी-बारी से राज्य सलाहकार समिति के सदस्य रहेंगे । दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का वर्तमान कार्यकाल अप्रैल, 2009 में समाप्त हो जाएगा । उत्तर रेलवे का 2 वर्ष का कार्यकाल मई 2009 से शुरू होगा ।

(xv) श्री अनिल सूद, अध्यक्ष, एनजीओ, चेतना, ए-417, सोमदत्त चैम्बर-1,
5 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

—सदस्य

2. यदि किसी सदस्य द्वारा अपने संगठन को छोड़ने के कारण कोई रिक्ति होती है तो वह रिक्ति संबंधित संगठन के प्रमुख द्वारा नामित उसके उत्तराधिकारी से भरी जाएगी।

3. राज्य सलाहकार समिति के उद्देश्य हैं कि वह निम्नलिखित विषयों पर आयोग को सलाह दे :

- (क) नीति संबंधी मुख्य प्रश्न;
- (ख) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विस्तार से संबंधित विषय;
- (ग) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा अपेक्षाओं का अनुपालन;
- (घ) उपभोक्ता हित का संरक्षण; और
- (ङ) यूटिलिटी द्वारा विद्युत आपूर्ति और समग्र कार्य-निष्पादन के मानदंड।

4. राज्य सलाहकार समिति में सम्मिलित संगठनों के अतिरिक्त, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, विशेष आमंत्रित के रूप में राज्य सलाहकार समिति की किसी बैठक में किसी अन्य संगठन/विशेषज्ञ/व्यक्ति को विशेष अतिथि के रूप में सहयोजित कर सकता है।

5. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग राज्य सलाहकार समिति की बैठक द्वारा तब बुलाई जाएगी जब उपर्युक्त पैरा 3 में सूचीबद्ध विषय (विषयों) पर समिति की सलाह आवश्यक हो।

अमरेन्द्र के. तिवारी, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/187-एल/08]

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2008

Subject : Reconstitution of the State Advisory Committee.

No. F. 7(37)/DERC/2008-09.—In supersession of the earlier notification of even number dated 30th April, 2007 and in exercise of the provisions of Section 87 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) hereby constitutes the "State Advisory Committee" for National Capital Territory of Delhi, consisting of following members :—

- | | | |
|--------|---|----------------------|
| (i) | Chairman, Delhi Electricity Regulatory Commission | —Ex-officio Chairman |
| (ii) | Members, Delhi Electricity Regulatory Commission | —Ex-officio Members |
| (iii) | Secretary-cum-Commissioner, Department of Food Supplies & Consumer Affairs, GNCTD | —Ex-officio Member |
| (iv) | Director, DMRC* | —Ex-officio Member |
| (v) | Member, Power Grievances Cell (PGC), Department of Power, GNCTD | —Ex-officio Member |
| (vi) | Chief Engineer, MCD | —Ex-officio Member |
| (vii) | The Joint Secretary, Ministry of New and Renewable Energy Sources | —Ex-officio Member |
| (viii) | Dr. G. C. Datta Roy, Senior Manager, PHD, Chamber of Commerce and Industry | —Ex-officio Member |
| (ix) | Secretary, Bureau of Energy Efficiency | —Ex-officio Member |
| (x) | Sh. Anil Relia, Quality Manager, NABL | —Member |
| (xi) | Deputy Director General/Director, Bureau of Indian Standards (BIS) | —Member |

*DMRC and Northern Railways shall be on the State Advisory Committee alternately for a spell of 2 years each. The present term of DMRC shall end in April, 2009. Northern Railways shall commence their 2 years term from May, 2009 onwards.

- | | | |
|--------|--|---------|
| (xii) | Sh. M. M. Rehman, Senior Fellow, V. V. Giri National Labour Institute | —Member |
| (xiii) | Sh. V.P. Kothiyal, Director (Works), Indian Council of Agricultural Research (ICAR) | —Member |
| (xiv) | Sh. K. Ramanathan, Distinguished Fellow, TERI | —Member |
| (xv) | Sh. Anil Sood, President, NGO, Chetna, A-417, Somdutt Chanber-1, 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 | —Member |

2. The vacancy that would arise on account of any member leaving his organization would be filled up by his successor, nominated by the Head of the respective organization.

3. The objects of State Advisory Committee are to advise the Commission on the following issues :—

- (a) major questions of policy;
- (b) matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
- (c) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licensee;
- (d) protection of consumer interest; and
- (e) electricity supply and overall standards of performance by utilities.

4. In addition to the organizations included in the State Advisory Committee, DERC may co-opt any other organization/expert/individual on any of the meetings of the State Advisory Committee, as a special invitee.

5. The meeting of the State Advisory Committee shall be convened by the DERC as and when the advice of the Committee is solicited on the issue(s) listed at para 3 above.

AMARENDRA K. TEWARY, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./187-L/08]